भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 3060
गुरुवार, 7 अगस्त, 2025/16 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

हवाई यात्रा पर उड़ान रद्द होने का प्रभाव

3060. श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत:
श्री के. सी. वेणुगोपाल:
डॉ. नामदेव किरसान:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) विनियामक या तकनीकी कारणों से और विदेशी सरकारी हस्तक्षेप के कारण वर्ष 2025 में भारत की एयरलाइन कंपनियों द्वारा रद्द की गई और पुनर्निर्धारित उड़ानों की देशवार और एयरलाइनवार संख्या कितनी है;
(ख) इन रद्दीकरण और पुनर्निर्धारित उड़ानों का यात्री यातायात और हवाई कंपनी राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और
(ग) परिचालन जारी रखने और रद्द और पुनर्निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से प्रभावित यात्रियों की सहायता के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): वर्ष 2025 के लिए विनियामक मामलों और भू-राजनीतिक मामलों के कारण रद्द/पुनर्निर्धारित उड़ानों की एयरलाइन-वार संख्या का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।
(ख): देरी और रद्दकरण के कारण एयरलाइनों को अतिरिक्त ईंधन, चालक दल का ओवरटाइम, अनुरक्षण, हवाईअड्डा शुल्क और पुनः बुकिंग व्यय सहित लागतें उठानी पड़ती हैं।
इसके अलावा, एयरलाइनों के रद्दकरण या अत्यधिक देरी के लिए यात्रियों को धनवापसी या मुआवजा प्रदान करना अपेक्षित है।
जनवरी से जून 2025 के दौरान घरेलू एयरलाइनों द्वारा ले जाए गए यात्रियों की संख्या में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 7.34% की वृद्धि दर्ज की गई।
(ग): उड़ान रद्द होने की स्थिति में, नागर विमानन महानिदेशालय ने "बोर्डिंग से इनकार, उड़ानें रद्द करना और उड़ानों में देरी के कारण, एयरलाइनों द्वारा यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं" शीर्षक से नागर विमानन अपेक्षाएं (सीएआर) धारा 3, श्रृंखला एम, भाग IV जारी की हैं।

अनुलग्नक

वर्ष 2025 के लिए विनियामक मामलों और भू-राजनीतिक मामलों के कारण रद्द/पुन:र्निर्धारित उड़ानें

एयरलाइन	रद्द/पुन:निर्धारित उड़ानों की संख्या
एअर इंडिया	662
इंडिगो	1017
अकासा एयर	18
स्पाइसजेट	334
एयर इंडिया एक्सप्रैस	427

******